



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

(Established by Chhattisgarh Legislative Assembly Act No. 07 of 2012)

रतनपुर मार्ग, कोनी पुलिस थाना के सामने, कोनी, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

वेबसाइट: www.bilaspuruniversity.ac.in ई-मेल : rticell@bilaspuruniversity.ac.in

क्र. 634 / अका. / पात्रता / 2026-27

बिलासपुर, दिनांक 01 / 07 / 2026

प्रति,

1. प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग,
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

विषय:- विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश के संबंध में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2026-27 के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिशा निर्देश।

- संदर्भ:- 1 वि.वि. अधिसूचना क्रमांक 617 / अका. / 2018 दिनांक 12 / 04 / 2018
2 वि.वि. अधिसूचना क्रमांक 98 / अका. / 2021-22 दिनांक 03 / 08 / 2022
3 वि.वि. पत्र क्रमांक 662 / अका. / पात्रता / 2023-24 दिनांक 07 / 07 / 2023
4 वि.वि. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31 / 03 / 2018 का पेनाल्टी संबंधी निर्णय।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक ESTB/17075/2026/38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 04 / 06 / 2026।

विषयांतर्गत निम्नानुसार दिशा निर्देशों का पालन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें-

01/ किसी विश्वविद्यालय से स्नातक पार्ट परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी, अर्थात् पूर्व से संचालित त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम (वार्षिक प्रणाली) के उत्तीर्ण विद्यार्थी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (सेमेस्टर प्रणाली) अंतर्गत संचालित किसी सेमेस्टर में प्रवेश प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(i) वर्तमान स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा क्रेडिट स्थानांतरण संबंधी नियम/नीति/अधिनियम निर्धारित नहीं किया गया है।

अतः किसी निजी विश्वविद्यालय अथवा अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से सेमेस्टर उत्तीर्ण विद्यार्थी को आगामी सेमेस्टर में प्रवेश प्रदान नहीं किया जा सकता है। (संलग्न पत्र- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 869 / 204 / आउशि / गु.प्र. / 2025 नवा रायपुर दिनांक 01 / 10 / 2025)।

02/ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार तृतीय/पंचम/सप्तम सेमेस्टर में विद्यार्थीयों द्वारा महाविद्यालय परिवर्तन तथा प्रवेश स्थिति में परिवर्तन हेतु कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 899 / 240 / आउशि / गु.प्र. / 2025 नवा रायपुर दिनांक 16 / 12 / 2025) में प्राप्त मार्गदर्शन का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

03/ पात्रता संबंधी आवेदन और उसके निराकरण के संबंध में होने वाली जटीलता को दृष्टीगत रखते हुये विश्वविद्यालय के वेबपोर्टल में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में प्रवेश लेने वाले ऐसे छात्र जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, उस छात्र के नाम के साथ "पात्रता की आवश्यकता" संबंधी विकल्प को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग द्वारा प्रवेश अथवा नामांकन की प्रक्रिया के समय चिन्हांकित किया जावेगा। कालान्तर में पात्रता संबंधी कार्यवाही विश्वविद्यालय से पूर्ण होने के पश्चात महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग उस छात्र के पात्रता संबंधी विकल्प को अचिन्हांकित करेगा।

04/ सामान्य निर्देश :-

- i. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- ii. अधूरे पाठ्यक्रम की स्थिति में उपाधी के नाम में परिवर्तन होने पर पात्रता प्रदान नहीं की जावेगी।
- iii. वार्षिक प्रणाली से सेमेस्टर प्रणाली में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

05/ पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- i. पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन फार्म विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्रों को आवेदन फार्म भरकर समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् महाविद्यालय के प्राचार्य /प्रवेश प्रभारी से अग्रेषित कराकर ही विश्वविद्यालय पात्रता प्रकोष्ठ में निर्धारित पात्रता शुल्क के साथ ऑफलाईन जमा करना होगा। सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने के तिथि से न्यूनतम 07 दिवस पश्चात् एवं अधिकतम 30 दिवस के भीतर पात्रता प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा।
- ii. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य /प्रवेश प्रभारी पात्रता आवेदन फार्म अग्रेषण पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि महाविद्यालय में सीट रिक्त है एवं आवेदनमय दस्तावेज पूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- iii. पात्रता के लिए आवेदन कर रहे आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र के साथ पूर्व में उत्तीर्ण किये गये परीक्षा के समस्त वर्षों/सेमेस्टर की अंकसूचियों को अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। इन अंकसूचियों में पूर्णांक व प्राप्तांक का उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी/प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर लें।
- iv. यदि कोई आवेदक अंकसूचियों के स्थान पर ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत कर रहा है तो, इस ट्रांसक्रिप्ट में प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर में लिए गये विषयों का एवं पूर्णांक व प्राप्तांकों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी/प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर लें तत्पश्चात् ही आवेदन अग्रेषित करें।
- v. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता का निर्धारण एन.सी.टी.ई. एवं एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के आधार पर किया जावेगा।
- vi. नियमित विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होंगे।

उक्त तिथि के पश्चात आवेदनों के लिए संदर्भित पत्र क्र. 03 में वर्णित अनुसार पात्रता पेनाल्टी राशि महाविद्यालय तथा छात्र पर (यथास्थिति) अधिरोपित की जा सकेगी। स्वाध्यायी छात्रों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, तत्पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर पेनाल्टी राशि अधिरोपित की जावेगी।

- vii. प्राचार्य से अपेक्षा है कि जिन छात्रों का नाम प्रवेश की प्रावीण्य सूचि में उल्लेख है। उन्हीं के पात्रता आवेदन पत्र को अग्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

viii. छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2026-27 में उल्लेखित प्रावधानों/निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उक्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

 कुलसचिव

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
बिलासपुर(छ.ग.)

क्र.635/अका./पात्रता/2025-26

बिलासपुर, दिनांक 01/07/26

प्रतिलिपि :-

- 1/कुलपति जी के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित
- 2/परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4/प्रोग्रामर को विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने एवं समिति की अनुशंसा क्रमांक- 03 के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
- 5/निजी नस्ती/कार्यालय अभिलेख हेतु।

 उप-कुलसचिव

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
ःःमंत्रालयःः
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

---00---

क्र. ESTB/17075/2026/38-2
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04.06.2026

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)।

विषय:- शैक्षणिक संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रेषण विषयक।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव क्रमांक GENS/11/4637/2026-SAMNVAY दिनांक 25.05.2026

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का अवलोकन करें।

2/ उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की प्रति संलग्न प्रेषित है।

3/ निर्देशानुसार, सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुये मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

Digitally signed by
DHANANJAY NETAM

Date: 04-06-2026

17:03:51

(धनजय नेताम)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर
कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2026-27

1. प्रयुक्ति :-
 - 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
 - 1.2 प्रवेश के नियमों को राजकीय विश्वविद्यालय तथा संबद्ध शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।
2. प्रवेश की तिथि :-
 - 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों को छोड़कर समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में से महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमानुसार प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

(स) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्यतानुरूप किसी भी संशोधन/परिवर्धन संबंधित निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(द) विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जायेगा। स्वशासी महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्ष अर्थात् सप्तम

Munde

[Signature]

[Signature]

सेमेस्टर में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सम्बन्धित अध्यादेश के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं/सेमेस्टर हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 कार्य दिवस तक शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जायेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 कार्य दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं पूर्व सेमेस्टर के कोर्सेस/कोर्स क्रेडिट का मिलान करना आवश्यक होगा तथा आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त वार्षिक प्रणाली अंतर्गत (अंतिम वर्ष में) अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 कार्य दिवस तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।



सेमेस्टर प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का प्रावधान नहीं है, परंतु किसी सेमेस्टर के किसी कोर्स विशेष में प्रावधानानुसार निविदत्त मूल्यांकन (Challenged Valuation) द्वारा परिणाम में परिवर्तन होने की स्थिति में सेमेस्टर वार प्रोन्नति नियम (Semesterwise Promotion Rule) के अनुसार आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत होने की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही क्रमानुगत सेमेस्टर के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।
- 3.3 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अंतर्गत प्रत्येक संकाय में अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या में प्रवेश संख्या के अनुसार ही आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 3.4 प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के प्रमुख बिन्दुओं सहित संस्थान्तर्गत संचालित संकायवार निर्धारित विषय समूह सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश-सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर तत्सम्बन्धित सेमेस्टर/कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस. सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। संकायवार निर्धारित विषय समूह के अनुरूप ही प्रवेश दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रत्येक सम सेमेस्टर (द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम/अष्टम) में प्रवेश नवीनीकरण तथा विषम सेमेस्टर (तृतीय/पंचम/सप्तम) में नियमित प्रवेश की पात्रता सम्बन्धित अध्यादेश/विनियम में उल्लेखित प्रोन्नती नियम (Promotion Rule) के अनुसार ही होगी तथा किसी सेमेस्टर में विषय परिवर्तन की पात्रता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप ही होगी।

(ग) स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के सप्तम में नियमित प्रवेश संबंधित अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार दिया जायेगा।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर के कमशः द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण तथा द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में

Amule

[Signature]

AN

[Signature]

नियमित प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित प्रोन्नति नियम (Promotion Rule) के अनुसार ही होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर सेमेस्टर में बैकलॉग कोर्स संबंधित/सेमेस्टरवार प्रोन्नति नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
3. स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तीन वर्ष के बाद एक्जिट होने वाले विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।
- (घ) बी.ए. एल.एल.बी./बी.कॉम. एल.एल.बी. पाठ्यक्रम की कक्षाओं में प्रवेश बार कौंसिल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

“विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाह्न में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।”

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि ग्रेड 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को

पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईव्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसव्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को शैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली अंतर्गत बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय से द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष परीक्षा (वार्षिक प्रणाली हेतु) अथवा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्तर्गत संचालित सेमेस्टर में क्रेडिट स्थानान्तरण के प्रावधान संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जायेगा। तदनुसार स्नातक के तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाना कोर्स मिलान एवं क्रेडिट स्थानान्तरण पर आधारित होगा तथा सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार दिया जायेगा।
- 7.4 वार्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु – विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :
- 8.1 वार्षिक प्रणाली अंतर्गत शेष वर्ष हेतु स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में बैकलॉग परिणाम वाले आवेदकों को अगली सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश की पात्रता, संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय के अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगी।
- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा। (वार्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु लागु)
- 9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी सत्र/सत्रों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परन्तु अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है अथवा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में उसी संकाय में पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है, यदि वह कंडिका 9.2 एवं 9.3 के परिधि में शामिल न हो।

यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जायेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परन्तु स्वधायी विद्यार्थी के रूप में अन्य संकाय के स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है, यदि वह कण्डिका 9.2 एवं 9.3 के परिधि में शामिल न हो।
- 9.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप स्नातक स्तर पर स्वधायी विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (तृतीय/पंचम/सप्तम) में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.8 विदेशी नागरिकता अथवा विदेशी विश्वविद्यालय/बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी को प्रवेश प्रदान करने के सम्बन्ध में यू.जी.सी. द्वारा जारी प्रावधानों/नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता निर्धारण नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार संचालित 3/4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अंतर्गत अगली कक्षाओं/सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगा तथापि प्राथमिकता नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के 3/4 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।









(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्तीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, $1/2$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

- 12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाये।

टीप :- अवर सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कं. एफ 13-1/2023/आ.प्रा. /1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कं. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

- | | |
|--|------------|
| (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट | 03 प्रतिशत |
| या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | |
| (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता | 04 प्रतिशत |









- में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को
- (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
- (छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
- (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट 10 प्रतिशत
- (य) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट 10 प्रतिशत
- (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 15 प्रतिशत

- करने वाले को
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत
- 13.7 विशेष प्रोत्साहन :-
- छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं/सेमेस्टर में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-
- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक तृतीय/पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

- 14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-
स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अकादमिक कैलेण्डर में निर्धारित सतत् आंतरिक मूल्यांकन के प्रथम चरण के पूर्व दिनांक तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

- 15 शोध छात्र :-
शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं विश्वविद्यालय के पी.-एच.डी. अध्यादेश / विनियम/अधिनियम के अनुरूप रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

- 16 विशेष :-
16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।



- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

—000—

Amurde

[Signature]

[Signature]

[Signature]

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक -3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर,
Email- slqaccg@gmail.com, Website - highereducation.cg.gov.in

क्र. 869/204/आउशि/गु.प्र./2025

नवा रायपुर, दिनांक: 01/08/2025

प्रति,

कुलसचिव,
पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर
छत्तीसगढ़

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालय से स्नातक पार्ट परीक्षा उत्तीर्णपरांत राजकीय विश्वविद्यालय के एन.ई.पी. 2020 अंतर्गत स्नातक में प्रवेश चाहने वाले छात्रों के संबंध में।
संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1601/अका./पाठ्यक्रम/ 2025 दिनांक 21.08.2025।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि -

1. किसी विश्वविद्यालय से स्नातक पार्ट परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी, अर्थात् पूर्व से संचालित त्री-वर्षीय पाठ्यक्रम (वार्षिक प्रणाली) के उत्तीर्ण विद्यार्थी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (सेमेस्टर प्रणाली) अंतर्गत संचालित किसी सेमेस्टर में प्रवेश प्रदान नहीं किया जा सकता है।
2. प्रदेश के समस्त राजकीय विश्वविद्यालय एवं संबद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त कोर्स करिकुलम/सिलेबस का निर्माण केंद्रीय अध्ययन मंडल द्वारा किया गया है, जबकि निजी विश्वविद्यालयों के करिकुलम उनके अध्ययन मंडल द्वारा बनाया जाता है।

अतः निजी विश्वविद्यालय से सेमेस्टर उत्तीर्ण विद्यार्थी को आगामी सेमेस्टर में राजकीय विश्वविद्यालय/संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्रदान किये जाने हेतु राजकीय विश्वविद्यालयों द्वारा नीति निर्धारण किया जाना उचित होगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रवेश प्रदान नहीं किया जा सकता है।

3. वर्तमान स्थिति में विश्वविद्यालयों द्वारा क्रेडिट स्थानांतरण संबंधी नियम/नीति/अधिनियम निर्धारित नहीं किया गया है।

अतः किसी निजी विश्वविद्यालय अथवा अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से सेमेस्टर उत्तीर्ण विद्यार्थी को आगामी सेमेस्टर में प्रवेश प्रदान नहीं किया जा सकता है।


(डॉ. संतोष कुमार देवांगन)
आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

पृ.क्र. 870/204/आउशि/गु.प्र./2025
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक: 01/08/2025

1. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ।


आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक -3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर,
Email- slqaccg@gmail.com, Website - highereducation.cg.gov.in

क्र. 899/240/आउशि/गु.प्र./2025

नवा रायपुर, दिनांक: 16/12/2025

प्रति,

कुलसचिव,
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

विषय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार तृतीय/पंचम/सप्तम सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिवर्तन तथा प्रवेश स्थिति में परिवर्तन बाबत।
संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 455/परीक्षा/2025 दिनांक 13.12.2025।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत चाही गई बिन्दुओं पर निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है :-

1. नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी तृतीय अथवा पंचम सेमेस्टर से स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर सकता है, बशर्ते सेमेस्टर प्रमोशन नियम का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
अर्थात् तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में कुल 20 क्रेडिट न्यूनतम अर्जित किया हो। पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में कुल 20 क्रेडिट न्यूनतम अर्जित किया हो तथा प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के समस्त कोर्स उत्तीर्ण हो।
2. नियमित से स्वाध्यायी विद्यार्थी होने हेतु पंजीयन आवेदन संबंधित निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।
3. स्वाध्यायी विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर अथवा पंचम सेमेस्टर से नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर सकता है, बशर्ते विगत सेमेस्टर के समस्त कोर्स उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य होगा।
अर्थात् तृतीय सेमेस्टर में पंजीयन हेतु प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के कुल 40 क्रेडिट अर्जित किया हो। पंचम सेमेस्टर में पंजीयन हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के कुल 80 क्रेडिट अर्जित किया हो।
4. नियमित विद्यार्थी द्वारा तृतीय/पंचम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय अंतर्गत महाविद्यालय परिवर्तन किया जा सकता है। बशर्ते विगत सेमेस्टर के समस्त कोर्स उत्तीर्ण हो।
अर्थात् तृतीय सेमेस्टर में संस्था परिवर्तन हेतु प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के कुल 40 क्रेडिट अर्जित किया हो। पंचम सेमेस्टर में संस्था परिवर्तन हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के कुल 80 क्रेडिट अर्जित किया हो।
5. अनियमित विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय का आबंटन विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जाता है, अतः उनके लिए संस्था परिवर्तन के निर्णय हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन सक्षम है।
उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


(डॉ. संतोष कुमार देवांगन)
आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर